भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 665

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2024

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पुनर्वास

665. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर :
श्री दिलीप शइकीया :
श्री देवजी पटेल :
श्री नारणभाई काछडिया :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास अठारह वर्ष की आयु के बाद राज्य द्वारा संचालित बाल-देखभाल गृहों में रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास और समाज में उनके एकीकरण के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (ग): महिला और बाल विकास मंत्रालय 2021 में यथा संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) का संचालन कर रहा है, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है।

(i) इस अधिनियम में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार और सामाजिक पुन: एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। जेजे अधिनियम, 2015 के तहत राज्य सरकार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में या तो स्वयं या स्वैच्छिक या गैर-

सरकारी संगठनों के माध्यम से बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की स्थापना और रखरखाव करना अनिवार्य है। जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2 (35) के अनुसार, किशोर का अर्थ अठारह वर्ष से कम आयु का बच्चा है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और उसके अंतर्गत बनाए गए किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (जेजे नियम, 2016) (2022 में यथा संशोधित) में अन्य बातों के साथ-साथ बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बेंचमार्क को विनिर्दिष्ट किया गया हैं। देखभाल की प्रमुख प्रक्रियाएं और मानक सीसीआई के कामकाज के महत्वपूर्ण घटक हैं। किशोर न्याय अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित ये प्रक्रियाएं और मानक जैसे भौतिक अवसंरचना, कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन सामग्री, सफाई और स्वच्छता, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, व्यावसायिक और मनोरंजन सुविधाएं सीसीआई में रहने वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए हैं।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(5) और धारा 46 के तहत संस्थागत देखभाल में रहने वाले बच्चों के लिए पश्चावर्ती देखरेख (आफ्टरकेयर) का प्रावधान है, जिसमें अठारह वर्ष की आयु पूरी करने पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले किसी भी बच्चे को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (2022 में यथा संशोधित) के नियम 25 में निर्धारित तरीके से समाज की मुख्यधारा में बच्चे के पुन: एकीकरण की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। जेजे मॉडल नियम, 2016 (2022 में यथा संशोधित) के नियम 79 (9) के अनुसार, जहां अठारह वर्ष से अधिक आयु की लड़की को बाल देखभाल संस्थान से रिहा कर दिया जाता है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसे कामकाजी महिला छात्रावासों या ऐसी अन्य सरकारी सुविधाओं में तब तक आवास प्रदान किया जाएगा, जब तक कि उसके द्वारा कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर ली जाती है।

(ii) महिला और बाल विकास मंत्रालय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वनिर्धारित लागत साझा करने के आधार पर कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास एवं पुन: एकीकरण के लिए मिशन वात्सल्य योजना लागू कर रहा है। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की स्थापना एवं अनुरक्षण तथा गैर-संस्थागत देखरेख के लिए निधियों हेतु सहायता प्रदान की जाती है। जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) के अनुसार ऐसे बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) के अनुसार संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल और पुनर्वास दोनों तक पहुंच है।

सीसीआई भोजन और आवास; आयु-उपयुक्त शिक्षा; व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच; मनोरंजन; स्वास्थ्य देखभाल; परामर्श आदि प्रदान/ हेतु सहायता करता है । योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे अपनी नियुक्ति से पूर्व राज्य और जिला स्तर पर कार्यरत सीसीआई के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन करें ।

(iii) जहां तक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का सम्बन्ध है, दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का

आदेश देता है कि दिव्यांगजन दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें। उक्त अधिनियम की धारा 4(2) के तहत उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को दिव्यांग बच्चों की आयु और दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान करने हेतु अधिदेशित किया गया है । इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 (ज) के तहत बैंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त छात्रों को उपयुक्त मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु भी अधिदेशित किया गया है।

(iv) नैशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) देश भर में दिव्यांगजनों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराता है। देश में दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए एनडीएफडीसी की अपनी साझेदार एजेंसियों के माध्यम से रियायती वित्त प्रदान करने के लिए दो प्रमुख योजनाएं हैं, अर्थात् दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई) जो व्यक्ति केंद्रित है और विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई) जो विभिन्न भागीदार एजेंसियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों/ संयुक्त देयता समूहों के लिए है। डीएसवाई योजना के तहत, आय अर्जन गतिविधियों, उच्च शिक्षा जारी रखने/व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद के लिए रियायती ब्याज दर पर 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, वीएमवाई योजना के तहत लघु/सूक्ष्म व्यवसाय और विकासात्मक गतिविधियों के लिए त्वरित और आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों को उचित ब्याज दर पर 60,000/- रुपये तक का ऋण दिया जाता है। एनडीएफडीसी दिव्यांगजनों को स्वरोजगार उद्यमों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 50,000/- रुपये तक के स्वरोजगार ऋणों पर ब्याज दर में 1% की विशेष छूट प्रदान करता है। यह छूट एनडीएफडीसी द्वारा वहन की जाती है। शिक्षा ऋण दिव्यांग छात्र को प्रति वर्ष 4% की ब्याज की दर पर प्रदान किया जाता है ।

(v) **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)** नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना विभाग द्वारा लागू की जाती है जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोरोग या सामाजिक-कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने और बनाए रखने में सक्षम बनाना है। यह विभाग 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए तीन परियोजनाएं चला रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

I) गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय-आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बौद्धिक दिव्यांगता / सेरेब्रल पाल्सी / ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार / एमडी / मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बधिर-नेत्रहीन आदि): इन विशेष स्कूलों का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन में भिन्न-भिन्न स्तर के सुधार लाने के अंतिम उद्देश्य से आवासीय और गैर-आवासीय देखभाल प्रदान करना है। ये दैनिक जीवन की गतिविधियों के अनुरूप बुनियादी कौशल प्राप्त करने से लेकर अधिगम (लर्निंग) नियमित संस्थानों और सामान्य रूप से समाज में उनके एकीकरण तक हो सकते हैं। इस परियोजना के तहत 23 वर्ष की आयु तक के लाभार्थी लाभान्वित होते हैं।

II) गृह-आधारित पुनर्वास और समुदाय-आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास: यह परियोजना कुष्ठ रोग उपचारित वयस्कों के लिए है। इस श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने हेतु इस योजना में इंगित परियोजनाओं के मौजूदा घटकों में से, वीटीसी घटक को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। इस श्रेणी के लिए आश्रययुक्त कार्यशाला के लिए परियोजना भी चलाई जा सकती है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य कुष्ठ रोग से उपचारित व्यक्तियों को कौशल के साथ सशक्त बनाना है जो उन्हें या तो व्यक्तिगत रूप से / या सामूहिक रूप से अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से स्वयं को बनाए रखने हेतु सक्षम बनाएगा।

III) गृह-आधारित पुनर्वास और समुदाय-आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ मानसिक बीमारी से उपचारित और नियंत्रित व्यक्तियों के मनो-सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम: इस परियोजना का उद्देश्य मानसिक बीमारी से उपचारित और नियंत्रित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक सुविधाजनक तंत्र प्रदान करना है ताकि वे उचित समयावधि के भीतर सामान्य जीवन में एकीकृत हो सकें। ऐसे हाफ वे होम्स की आवश्यकता इसलिए महसूस की जाती है क्योंकि बड़े पैमाने पर समुदाय अभी भी ऐसे व्यक्तियों को अपने समूह में स्वीकार करने में संकोच कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और पुनः कुशल बनाना तथा उन्हें और उनके परिवारों को परामर्श देना है ताकि वे परिवार/समाज के साथ पुनःएकीकरण को सुगम बना सकें।

*****